

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

क्रमांक: 489/स.सा.प्र.वि./2020  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/04/2021

1. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक
2. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक


विषय:- हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों के लिए आर.टी.पी.सी. आर. कोविड टेस्ट अनिवार्य किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 488/स.सा.प्र.वि./2021 दिनांक 23/04/2021

--00--

संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों के आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी निर्देश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
2. अन्य राज्यों से संचालित फ्लाईट में बोर्डिंग के पूर्व संबंधित एयरलाइन द्वारा आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी किया जाना अनिवार्य होगा।
3. यदि त्रुटिवश कोई यात्री बिना आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में आगमन करते हैं तो उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी।
4. यह निर्देश 4 मई 2021 से लागू होंगे।

  
(डॉ. कमलप्रकाश सिंह)  
सचिव,

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

पृ.क्रमांक: 489-A /स.सा.प्र.वि./2020  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/04/2020

1. भारत सरकार के कैबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश /महाराष्ट्र /आंध्रप्रदेश /उत्तरप्रदेश /उड़ीसा/झारखंड /तेलंगाना /दिल्ली /पश्चिम बंगाल
9. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
11. समस्त विभागाध्यक्ष,
12. संचालक, एयरपोर्ट रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर को राज्य में फ्लाईट संचालित कर रहे सभी एयरलाईन्स को सूचित करने हेतु।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
सचिव, 28/1/21  
छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग